कार्य कर सकती हैं। साथ ही बसों, मिनी बसों का ग्रामीण रूटों पर चलाने का तथा रेलवे लाइन बिछवाने के लिए पंचायत विधायक, सांसद इत्यादि पर दबाव डाल सकती हैं।

(6) **सांस्कृतिक उन्नति**—सांस्कृतिक पिछड़ापन ग्रामीण जीवन की एक समस्या है। ग्राम पंचायतें ग्रामीण सांस्कृतिक जीवन को आधुनिक दृष्टि से उपयोगी बनाने में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं।

(7) **सूचना एवं संचार व्यवस्था**—ग्रामीण विकास में ग्रामवासियों को सही जानकारियां देने में पंचायतों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण जीवन में सूचना एवं संचार के उन्नत साधनों को जुटाने में ग्राम पंचायतें महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। अनेक गांव में ज्ञान केन्द्र, इन्टरनेट सेवाओं से सुसज्जित सूचना केन्द्र खुल गए हैं जिससे कृषक एवं छोटे व्यावसायियों के काम की आवश्यक जानकारियां मिलती हैं।

(8) **प्राकृतिक प्रकोपों से बचाव**—अकाल, बाढ़ आदि ग्राम जीवन के विकास के मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं। इस सन्दर्भ में ग्राम पंचायतें दोहरी भूमिका अदा कर सकती हैं, जैसे—अकाल और बाढ़ की स्थिति में ग्रामीण जनता की समुचित सहायता करके उसे राहत दिलाना आदि। साथ ही बांध, बनाना, वाटरशेड मैनेजमेंट, पनबिजली परियोजनाएं तथा रेनवाटर हार्विस्टिंग जैसी योजनाओं को अपने क्षेत्रों में कारगर बनाने में पंचायतों की भूमिका रही है।

(C) • ***आर्थिक जीवन में पंचायतों का महत्त्व***

आर्थिक क्षेत्र में पंचायतें निम्न कार्यों का सम्पादन कर सकती हैं—

(1) **कृषि सुधार**—भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी खेती के क्षेत्र में यह अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ है। पंचायतों के द्वारा कृषि सुधार के कार्यों को प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है।

(2) **सिंचाई व्यवस्था**—कृषि सुधार में सिंचाई का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ग्राम पंचायतें कुएं, तालाब, नहर आदि का निर्माण करने और उनकी देखभाल के कार्य को सम्पादित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं।

(3) **पशु-नस्ल सुधार**—ग्रामीण आर्थिक विकास में पशुओं की खराब नस्ल सबसे बड़ी बाधा है। ग्राम पंचायतें पशुओं की नस्लों को सुधारने में, उन्हें चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में तथा उनसे दूध आदि उत्पाद प्राप्त करने के लिए सहकारी योजनाएं क्रियान्वित कर सकती हैं।

(4) **उत्तम बीज**—भारतीय कृषि में प्रयुक्त किया जाने वाला बीज भी घटिया किस्म का होता है। ग्राम पंचायतें बीजों की किस्मों को सुधारने में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं।

(5) **सहकारी समितियां**—ग्रामीण आर्थिक विकास में सहकारी समितियों की अहम् भूमिका है। ग्राम पंचायतें सहकारी समितियों की सहायता से ग्रामीण पुनर्निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं।

Scanned with CamScanner

(6) ग्रामोद्योग—कुटीर उद्योग धन्धों का विकास ग्रामीण जीवन की प्रगति और विकास में महत्त्वपूर्ण है। इस दृष्टि से ग्राम पंचायतें कुटीर उद्योग धन्धों को प्रोत्साहित कर उन्हें सूचना तथा विपणन सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करके ग्रामीण विकास में योगदान दे सकती हैं।

(7) वृक्षारोपण—ग्रामीण आर्थिक जीवन में वृक्षों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस दृष्टि से ग्राम पंचायतें वृक्षारोपण के कार्य को प्रोत्साहित कर वातावरण को स्वच्छ एवं संतुलित बनाये रख सकती हैं।

(8) चारागाह—चारागाह पशु जीवन के अंग हैं, उनके लिए चारागाहों की व्यवस्था अनिवार्य है। ग्राम पंचायतें चारागाह की व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं।

(9) भूमिहीन श्रमिक—ग्रामीण जीवन में भूमिहीन श्रमिक अधिक हैं तथा उनकी हालत चिन्ताजनक है। ग्राम पंचायतें इन श्रमिकों को भूमि तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं।

(D) • *राजनैतिक जीवन में पंचायतों का महत्त्व*

राजनैतिक जीवन में ग्राम पंचायतों का महत्त्व निम्नलिखित है—

(1) ग्रामीण नेतृत्व का विकास—ग्रामीण विकास में नेतृत्व की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम पंचायतें चुनाव तथा अन्य जनोपयोगी कार्यों की सहायता से ग्रामीण नेतृत्व के विकास में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं।

(2) शान्ति और व्यवस्था—स्वयंसेवक दल का गठन करके ग्राम पंचायतें ग्रामीण अंचलों में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं।

(3) प्रशासनिक शिक्षा—ग्रामीण विकास की योजना का संचालन स्वयं ग्रामवासियों को करना पड़ता है। इस प्रकार ग्रामीणों को प्रशासन में सहभागिता प्राप्त होती है। इस प्रकार ग्राम पंचायतें जनता को प्रशासनिक शिक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं।

(4) शिक्षा का प्रसार—ग्राम पंचायतें लोगों को व्यावसायिक, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण तथा दूरस्थ शिक्षा भी प्रदान कर सकती हैं। इसके लिए ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, प्रौद्योगिकी संस्थान आदि खुलवाने का प्रयास करती हैं।

(5) आपसी सहयोग—ग्राम पंचायतें ग्रामीण जनता में आपसी सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करके मुकदमेबाजी की संख्या को कम करने में महत्त्वपूर्ण कार्य करती हैं Stop 18 Apr

73वें संविधान संशोधन से पूर्व एवं पश्चात् पंचायती राज

(Panchayati Raj before and after 73rd Amendment)

73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया है। अगर हम इस संशोधन से पूर्व एवं संशोधन के पश्चात् भारत में पंचायती राज व्यवस्था की तुलना करें तो इनमें निम्नलिखित अन्तर स्पष्ट होते हैं—

Scanned with CamScanner